भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 987518

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन, सैकेण्डरी कूड़ा कलैक्शन से सम्बन्धित है। इस अनुबन्ध पक्ष नगर निगम, झाँसी व द्वितीय पक्ष मै. ओम मोटर्स कन्सट्रक्शन झाँसी होगा। अनुबन्ध की शर्तें है–

1. फीस कलैक्शन – यूजर चार्ज रू0 40 प्रति हाऊस होल्ड प्रति माह वसूली होगी वसूल किया गया शुल्क बैंक में नगर निगम के खाते में जमा होगा, अवकाश के दिन अगले कार्यदिवस में जमा होगा। फीस वसूली कार्य संस्था द्वारा किया जायेगा इसमें 40 प्रतिशत वसूली अनिवार्य रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
2. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन :– सम्पूर्ण ......08...................... के वार्डो की सूची नगर निगम द्वारा [redacted] आवासित है तो उसको भी हाउस होल्ड में गिना जायेगा। इसमें वार्ड नं0 55, 53, 05, 46, 34 32, 39, 16. सम्मलित है।
3. यूजर चार्ज वसूली का निर्धारण –

हाउस होल्ड	–	रू0 40 प्रति माह
व्यवसायिक स्थल	–	रू0 100 प्रति माह
होटल/रेस्टोरेन्ट	–	रू0 500 प्रति माह
विवाह घर	–	रू0 500 प्रति बुकिंग

न्यूनतम 40 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूलने की वाध्यता द्वितीय पक्ष की होगी।

4. अनुबन्ध की अवधि :– तीन वर्ष होगी तथा सन्तोषजनक होने पर बढाया जा सकेगा।
5. कूड़ा एकत्रीकरण एवं परिवहन :– डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन के लिये फोर व्हीलर टिपर संस्था स्वयं क्रय अथवा किराये पर लेगी। वाहनों के संचालन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति में प्रथम पक्ष का दायित्व न हो। डीजल, मोबिल ऑयल आदि संस्था का होग। ड्राईवर हैल्पर भी द्वितीय पक्ष का होगा।

सम्पूर्ण आबण्टित क्षेत्र का कूड़ा परिवहन करने में प्रस्तुत बिल के अनुसार प्रति माह प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान करना होगा।

जनजागरण अभियान – द्वितीय पक्ष द्वारा होर्डिंग, प्रिन्ट मीडिया का सहयोग लेकर जनजागरण अभियान जायेगा, होर्डिग का पैसा नगर निगम द्वारा व्यय किया जायेगा एवं प्रेस विज्ञप्ति का व्यय प्रथम पक्ष का द्वा किया जायेगा तथा सीधे नागरिकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जायेगा। द्वितीय सुपरवाईजर प्रतिदिन वार्ड पार्षद/पूर्व पार्षद/गणमान्य नागरिक व सफाई निरीक्षक से सम्पर्क कर स्थानि उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों का कूड़ा हटवायेगा एवं उनके हस्ताक्षर कराकर दैनिक प्रगति रिपोर्ट का अ सक्षम अधिकारी से कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

For-Om Motors & Constructio

(signature)

Proprietor

40-anubandh.doc/nnj

6. <u>स्थल कार्यालय :–</u> द्वितीय पक्ष द्वारा सभी उपकरणों के रख–रखाव के लिये एक स्थल चिन्हित किया जायेगा जहाँ सभी उपकरणों के साथ पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रहेंगे एवं साईज इन्चार्ज, सुपरवाईजर आदि रहेंगे। सम्पूर्ण कार्य का लेखा–जोखा इसी स्थल पर उपलब्ध रहेगा। उक्त स्थल पर केवल प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी ही निरीक्षण कर सकेंगे।

7. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के समस्त प्राविधानों का अनुपालन प्राईमरी व सैकेण्डरी कूड़ा कलैक्शन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

8. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन आवासीय, अनावासीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लेना होगा तथा सड़क पर एकत्रित एवं आम नागरिकों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा भी द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा एवं नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर द्वितीय पक्ष द्वारा ले जाया जायेगा।

9. यूजर चार्ज की वसूली कम से कम 40 प्रतिशत करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा और वसूल की गयीं धनराशि नगर निगम खाते में जमा करनी होगी।

10. उक्त योजना के कार्य में वाहनों पर योजना का नाम लिखवाना व योजना के कार्य में यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

11. द्वितीय पक्ष को वर्ष में 365 दिन कार्य करना होगा तथा शासन के निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।

12. अनुबन्ध की अवधि के मध्य कार्य छोड़ देने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व कोई भुगतान नही किया जायेगा।

13. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन के कार्य का सत्यापन नियमित रूप से सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपैक्टर, वार्ड पार्षद,/पर्व पार्षद/नामित पार्षद द्वारा कराया जायेगा जिससे कार्य के मूल्यांकन में प्रथम पक्ष को आसानी से उक्त सत्यापन के अभाव में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

14. सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपेक्टर, द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित स्थलों से कूड़ा उठाना होगा व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायत का निस्तारण 24 घण्टे के अन्दर करना होगा।

15. घर–घर से कचरा न उठाने पर पेनाल्टी रू0 100/– लगायी जायेगी व शिकायत का निस्तारण समय से न होने की दशा में रू0 500/– पेनाल्टी लगायी जायेगी।

16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त बढ़ाने अथवा शिथिल करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी में निहित होगा और विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी द्वारा लिये गये निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।

17. न्याय क्षेत्र झाँसी नगर ही होगा।

For Om Motors & Constructions
[signature]
Proprietor
द्वितीय पक्ष

[signature]
प्रथम पक्ष
वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, झाँसी

(1.4)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DA 498162

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन सैकेण्डरी कूड़ा कलैक्शन से सम्बन्धित है। इस अनुबन्ध में प्रथम पक्ष नगर निगम, झांसी व द्वितीय पक्ष सोसायटी फार एजुकेशन [illegible] होगा। अनुबन्ध की शर्ते निम्न है–

1. **फीस कलैक्शन** – यूजर चार्ज रू0 40 प्रति हाउस होल्ड प्रतिमाह वसूली होगी वसूल किया गया शुल्क प्रतिदिन बैंक में नगर निगम के खाते में जमा होगा, अवकाश के दिन अगले कार्यदिवस में जमा होगा। फीस वसूलने का कार्य संस्था द्वारा किया जायेगा इसमें 40 प्रतिशत वसूली अनिवार्य रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
2. **डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन :–** सम्पूर्ण नवम / दशम के वार्डो की सूची नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं वार्ड वाइज में उपलब्ध कराया जायेगा। यदि एक घर में मालिक के अतिरिक्त किरायेदार भी आवासित है तो उसको भी हाउस होल्ड में गिना जायेगा। इसमें वार्ड नम्बर 49, 01, 02, 31, 26, 27 सम्मिलित है।
3. **यूजर चार्ज वसूली का निर्धारण–**

हाउस होल्ड	–	रू0 40 प्रतिमाह
व्यवसायिक स्थल	–	रू0 100 प्रतिमाह
होटल/रेस्टोरेन्ट	–	रू0 500 प्रतिमाह
विवाह घर	–	रू0 500 प्रति बुकिंग

न्यूनतम 40 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूली की बाध्यता द्वितीय पक्ष की होगी।

4. **अनुबन्ध की अवधि:–** दो वर्ष होगी तथा सन्तोषजनक होने पर बढ़ाया जा सकेगा।
5. **जनजागरण अभियान–** द्वितीय पक्ष द्वारा होर्डिंग, प्रिन्ट मीडिया का सहयोग लेकर जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, होर्डिंग का पैसा नगर निगम द्वारा व्यय किया जायेगा एवं प्रेस विज्ञप्ति का व्यय प्रथम पक्ष का द्वारा वहन किया जायेगा तथा सीधे नागरिकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जावेगा। द्वितीय पक्ष का सुपरवाइजर प्रतिदिन वार्ड पार्षद व सफाई निरीक्षक से सम्पर्क कर स्थापित कर उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों का कूड़ा हटवायेगा एवं उनके हस्ताक्षर कराकर दैनिक प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन सक्षम अधिकारी से कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
6. **स्थल कार्यालय :–** द्वितीय पक्ष द्वारा सभी उपकरणों के रख–रखाव के लिये एक स्थल चिन्हित किया जायेगा जहाँ सभी उपकरणों के साथ पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रहेगें एवं साईड इंचार्ज, सुपरवाईजर आदि रहेंगे। सम्पूर्ण कार्य का लेखा–जोखा इसी स्थल पर उपलब्ध रहेगा। उक्त स्थल पर केवल प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी ही निरीक्षण कर सकेंगे।
7. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के समस्त प्राविधानों का अनुपालन प्राईमरी कूड़ा कलैक्शन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

नगर आयुक्त

Society for Education & Welfare for All

Contd......2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DA 498164

8. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन आवासीय, अनावासीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लेना होगा तथा सड़क पर एकत्रित एवं आम नागरिकों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा भी द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा एवं नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर द्वितीय पक्ष द्वारा ले जाया जायेगा।
9. अनुबन्ध की अवधि फिलहाल दो वर्ष की होगी लेकिन कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में दो वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा एवं संतोषजनक होने पर 5 वर्ष के लिए आपसी समन्वय से बढ़ाया जा सकेगा।
10. यूजर चार्ज की वसूली कम से कम 40 प्रतिशत करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा और वसूल की गयी धनराशि नगर निगम खाते में जमा करनी होगी।
11. उक्त योजना के कार्य में वाहनों पर योजना का नाम लिखवाना व योजना के कार्य में यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. द्वितीय पक्ष को वर्ष में 365 दिन कार्य करना होगा तथा शासन के निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।
13. अनुबन्ध की अवधि के मध्य कार्य छोड़ देने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन के कार्य का सत्यापन नियमित रूप से सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपैक्टर, वार्ड पार्षद/पूर्व पार्षद/नामित पार्षद द्वारा कराया जायेगा जिससे कार्य के मूल्यांकन में प्रथम पक्ष को आसानी से उक्त सत्यापन के अभाव में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
15. सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपेक्टर, वार्ड पार्षद द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित स्थलों से कूड़ा उठाना होगा व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायत का निस्तारण 24 घण्टें के अन्दर करना होगा।
16. घर–घर से कचरा न उठाने पर पेनाल्टी रू0 100/– लगायी जायेगी व शिकायत का निस्तारण समय से न होने की दशा में रू0 500/– पेनाल्टी लगायी जायेगी।
17. उपरोक्त में से किसी भी शर्त बड़ाने अथवा शिथिल करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, झांसी में निहित होगा और विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त नगर निगम, झांसी द्वारा लिये गये निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. न्याय क्षेत्र झांसी नगर ही होगा।

प्रथम पक्ष

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

द्वितीय पक्ष

Society for Education & Welfare for All

Treasurer

Secretary

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DA 498160

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन सैकेण्डरी कूड़ा कुलैक्शन से सम्बन्धित है। इस अनुबन्ध में प्रथम पक्ष नगर निगम, झांसी व द्वितीय पक्ष अर्वा एसोसिएट्स, झांसी होगा। अनुबन्ध की शर्तें निम्न है–

1. **फीस कलैक्शन** – यूजर चार्ज रू0 40 प्रति हाउस होल्ड प्रतिमाह वसूली होगी वसूल किया गया शुल्क प्रतिदिन बैंक में नगर निगम के खाते में जमा होगा, अवकाश के दिन अगले कार्यदिवस में जमा होगा। फीस वसूलने का कार्य संस्था द्वारा किया जायेगा इसमें 40 प्रतिशत वसूली अनिवार्य रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
2. **डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन :–** सम्पूर्ण तृतीय/चतुर्थ के वार्डो की सूची नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं वार्ड वाइज में उपलब्ध कराया जायेगा। यदि एक घर में मालिक के अतिरिक्त किरायेदार भी आवासित है तो उसको भी हाउस होल्ड में गिना जायेगा। इसमें वार्ड नम्बर 37, 59, 50 सम्मिलित है।
3. **यूजर चार्ज वसूली का निर्धारण–**

हाउस होल्ड	–	रू0 40 प्रतिमाह
व्यवसायिक स्थल	–	रू0 100 प्रतिमाह
होटल/रेस्टोरेन्ट	–	रू0 500 प्रतिमाह
विवाह घर	–	रू0 500 प्रति बुकिंग

न्यूनतम 40 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूली की बाध्यता द्वितीय पक्ष की होगी।

4. **अनुबन्ध की अवधिः–** दो वर्ष होगी तथा सन्तोषजनक होने पर बढ़ाया जा सकेगा।
5. **जनजागरण अभियान–** द्वितीय पक्ष द्वारा होर्डिंग, प्रिन्ट मीडिया का सहयोग लेकर जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, होर्डिंग का पैसा नगर निगम द्वारा व्यय किया जायेगा एवं प्रेस विज्ञप्ति का व्यय प्रथम पक्ष का द्वारा वहन किया जायेगा तथा सीधे नागरिकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जावेगा। द्वितीय पक्ष का सुपरवाइजर प्रतिदिन वार्ड पार्षद व सफाई निरीक्षक से सम्पर्क कर स्थापित कर उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों का कूड़ा हटवायेगा एवं उनके हस्ताक्षर कराकर दैनिक प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन सक्षम अधिकारी से कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
6. **स्थल कार्यालय :–** द्वितीय पक्ष द्वारा सभी उपकरणों के रख–रखाव के लिये एक स्थल चिन्हित किया जायेगा जहाँ सभी उपकरणों के साथ पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रहेगें एवं साईड इंचार्ज, सुपरवाईजर आदि रहेंगे। सम्पूर्ण कार्य का लेखा–जोखा इसी स्थल पर उपलब्ध रहेगा। उक्त स्थल पर केवल प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी ही निरीक्षण कर सकेंगे।
7. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के समस्त प्राविधानों का अनुपालन प्राईमरी कूड़ा कलैक्शन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

नगर आयुक्त

For-Arva Associates

Contd......2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

DA 498161

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

8. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन आवासीय, अनावासीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लेना होगा तथा सड़क पर एकत्रित एवं आम नागरिकों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा भी द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा एवं नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर द्वितीय पक्ष द्वारा ले जाया जायेगा।

9. अनुबन्ध की अवधि फिलहाल दो वर्ष की होगी लेकिन कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में दो वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा एवं संतोषजनक होने पर 5 वर्ष के लिए आपसी समन्वय से बढ़ाया जा सकेगा।

10. यूजर चार्ज की वसूली कम से कम 40 प्रतिशत करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा और वसूल की गयी धनराशि नगर निगम खाते में जमा करनी होगी।

11. उक्त योजना के कार्य में वाहनों पर योजना का नाम लिखवाना व योजना के कार्य में यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

12. द्वितीय पक्ष को वर्ष में 365 दिन कार्य करना होगा तथा शासन के निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।

13. अनुबन्ध की अवधि के मध्य कार्य छोड़ देने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन के कार्य का सत्यापन नियमित रूप से सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपैक्टर, वार्ड पार्षद/पूर्व पार्षद/नामित पार्षद द्वारा कराया जायेगा जिससे कार्य के मूल्यांकन में प्रथम पक्ष को आसानी से उक्त सत्यापन के अभाव में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

15. सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपेक्टर, वार्ड पार्षद द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित स्थलों से कूड़ा उठाना होगा व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायत का निस्तारण 24 घण्टें के अन्दर करना होगा।

16. घर–घर से कचरा न उठाने पर पेनाल्टी रू0 100/– लगायी जायेगी व शिकायत का निस्तारण समय से न होने की दशा में रू0 500/– पेनाल्टी लगायी जायेगी।

17. उपरोक्त में से किसी भी शर्त बड़ाने अथवा शिथिल करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, झांसी में निहित होगा और विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त नगर निगम, झांसी द्वारा लिये गये निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18. न्याय क्षेत्र झांसी नगर ही होगा।

प्रथम पक्ष

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

द्वितीय पक्ष

For-Arva Associates

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH AV 408095

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध डोर टू डोर कलेक्शन सेकेण्डरी कूड़ा कलेक्शन सम्बन्धी है। इस अनुबन्ध में प्रथम पक्ष नगर निगम, झाँसी व द्वितीय पक्ष मेसर्स एस0आर0 मैप टेक्नोलॉजी ग्वालियर होगा। अनुबन्ध की शर्तें निम्नवत है –

1. फीस कलेक्शन :– यूजर चार्ज रू0 40/– प्रति हाउस होल्ड प्रतिमाह वसूली होगी । वसूल किया गया शुल्क प्रतिदिन बैंक में नगर निगम के खाते में जमा होगा । अवकाश के अगले दिन कार्य दिवस में जमा होगा । फीस वसूलने का कार्य संस्था द्वारा किया जायेगा। इसमें 40 प्रतिशत वसूली अनिवार्य रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं बिल भी इसी दर से प्रस्तुत किया जायेगा।
2. डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन :– सम्पूर्ण सिविल लाइन के 10 वार्डो की सूची नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी एवं वार्ड वाइस भी उपलब्ध कराया जायेगा। यदि एक घर में मालिक के अतिरिक्त किरायेदार भी आवासित है तो उसको भी हाउस होल्ड में गिना जायेगा। लगभग 10000 हाउस होल्ड से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जायेगा। इसमें वार्ड नं0 8, 9, 12, 14, 42, 43, 47, 51, 52, 54 सम्मिलित है।
3. यूजर चार्ज वसूली का निर्धारण :–

हाउस होल्ड	:	रू0 40 प्रति माह
व्यवसायिक स्थल	:	रू0 100 प्रति माह
होटल/रेस्टोरेंट	:	रू0 500 प्रति माह
विवाह घर	:	रू0 500 प्रति बुकिंग

   न्यूनतम 40 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूलने की बाध्यता द्वितीय पक्ष की होगी ।
4. अनुबन्ध की अवधि :– फिलहाल एक वर्ष की होगी तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कार्य संतोषजनक होने पर बढ़ाया जा सकेगा ।

प्रथम पक्ष
Dr. Rakesh Babu
Nagar Swasthya Adhikari
Municipal Corporation
JHANSI

द्वितीय पक्ष

5. <u>कूड़ा एकत्रीकरण एवं परिवहन</u> :– डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए पुराने रिक्शे ठीक कराने का कार्य संस्था द्वारा किया जायेगा व फोर व्हीलर टिपर संस्था स्वयं क्रय करेगी। परिवहन के लिए 50 ओपन डस्टबिन व एक नग डम्पर प्लेजर उक्त संस्था को हस्तगत करा दिये गये जिनका ऑपरेशन/मेन्टीनेन्स का पृथक अनुबन्ध होगा जिससे वाहनों के संचालन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति में प्रथम पक्ष का दायित्व निर्धारित न हो । डीजल, मोबीऑयल आदि संस्था का होगा । ड्राईवर, हैल्पर भी द्वितीय पक्ष का होगा । गाड़ियों का मालिकाना हक प्रथम पक्ष का होगा । सम्पूर्ण सिविल लाईन का कूड़ा परिवहन करने में प्रस्तुत बिल के अनुसार प्रतिमाह प्रथम पक्ष द्वारा उक्त द्वितीय पक्ष को भुगतान करना होगा । सर्विस टैक्स प्रथम पक्ष द्वारा मांगे जाने पर दिया जायेगा।
6. <u>जन जागरण अभियान</u> :– द्वितीय पक्ष द्वारा होर्डिंग, प्रिन्ट मीडिया का सहयोग लेकर जनजागरण अभियान चलाया जायेगा । होर्डिंग का पैसा नगर निगम द्वारा व्यय किया जायेगा एवं प्रेस विज्ञप्ति का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा तथा सीधे नागरिको से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जायेगा । द्वितीय पक्ष का सुपरवाईजर प्रतिदिन वार्ड पार्षद अथवा सफाई निरीक्षक से सम्पर्क करके स्थापिक कर उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों का कूड़ा हटवायेगा एवं उनके हस्ताक्षर कराकर दैनिक प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन सक्षम अधिकारियों से कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।
7. यह कि मै0 एस.आर.मैप द्वारा वार्ड नं0 42,43,47,52,54 कुल 05 वार्डो में रात्रि कालीन सायंकालीन 05:00 बजे से 08:00 बजे तक कूड़ा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित किया जायेगा। जिसका पृथक से कोई व्यय नगर निगम झाँसी द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
8. <u>स्थल कार्यक्रम</u> :– द्वितीय पक्ष द्वारा सभी उपकरणों के रख–रखाव के लिए स्थल चिन्हित किया जायेगा जहां सभी उपकरणों के साथ पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रहेगें एवं साईट इंचार्ज, सुपरवाईजर आदि रहेगें । सम्पूर्ण कार्य का लेखा जोखा इसी स्थल पर उपलब्ध रहेगा। उक्त स्थल पर केवल प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी ही निरीक्षण कर सकेगें ।
9. सॉलिड वेस्ड मेनेजमेंट के समस्त प्राविधानों का अनुपालन प्राईमरी व सेकेण्डरी कूड़ा कलेक्शन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा ।
10. डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आवासीय, अनावसीय, वाणिज्यिक, प्रतिष्ठानों से लेना होगा तथा सड़क पर एकत्रित एवं आम नागरिकों द्वारा फेका गया कूड़ा भी द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा एवं नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर द्वितीय पक्ष द्वारा ले जाया जायेगा।
11. अनुबन्ध की अवधि फिलहाल एक वर्ष की होगी लेकिन संतोषजनक न होने की स्थिति में एक वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जायेगा एवं संतोषजनक होने पर आपसी समन्वय से बढ़ाया जा सकता है।
12. यूजर चार्ज की वसूली कम से कम 40 प्रतिशत करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा और वसूल की गई धनराशि नगर निगम खाते में जमा करानी होगी।
13. उक्त योजना के कार्य में वाहनों पर योजना का नाम लिखवाना व योजना के कार्य में यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
14. द्वितीय पक्ष को वर्ष में 365 दिन कार्य करना होगा तथा शासन के निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।
15. अनुबन्ध की अवधि के मध्य कार्य छोड़ देने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व कोई भुगतान नही किया जायेगा ।

Dr. Rakesh Babu
Nagar Swasthya Adhikari
Municipal Corporation
JHANSI

16. डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य का सत्यापन नियमित रूप से सेनेटरी सुपरवाईजर, सेनेटरी इंस्पेक्टर, वार्ड पार्षद अथवा पूर्व पार्षद अथवा नामित पार्षद द्वारा कराया जायेगा । जिससे कार्य के मूल्यांकन में प्रथम पक्ष को आसानी से उक्त सत्यापन के अभाव में भुगतान किया जाना सम्भव नही होगा।
17. सेनेट्री सुपरवाईजर सेनेटरी इंस्पेक्टर वार्ड पार्षद द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित स्थलों से कूड़ा उठाना होगा व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायत का निस्तारण 24 घण्टे के अन्दर करना होगा ।
18. घर–घर से कचरा न उठाने पर पेनाल्टी रू0 100/– लगायी जायेगी व शिकायत का निसतारण समय से न होने की दशा में रू0 500/– पेनाल्टी लगायी जायेगी।
19. उपरोक्त में से किसी भी शर्त बढ़ाने अथवा शिथिल करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, झॉसी में निहित होगा और विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त नगर निगम, झॉसी द्वारा लिये गये निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा ।
20. न्याय क्षेत्र झॉसी नगर ही होगा ।
21. Date of Execution 01-10-2017

Dr. Rakesh Babu
प्रथम पक्ष
Nagar Swasthya Adhikari
Municipal Corporation
JHANSI

द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DA 653751

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन, सैकेण्डरी कूड़ा कलैक्शन से सम्बन्धित है। इस अनुबन्ध में प्रथम पक्ष नगर निगम, झाँसी व द्वितीय पक्ष मै. जे.आर.एम. ग्रुप झाँसी होगा। अनुबन्ध की शर्तें निम्नवत् है–

1. फीस कलैक्शन – यूजर चार्ज रू0 40 प्रति हाऊस होल्ड प्रति माह वसूली होगी वसूल किया गया शुल्क प्रतिदिन बैंक में नगर निगम के खाते में जमा होगा, अवकाश के दिन अगले कार्यदिवस में जमा होगा। फीस वसूलने का कार्य संस्था द्वारा किया जायेगा इसमें 40 प्रतिशत वसूली अनिवार्य रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
2. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन :– सम्पूर्ण 08 के वार्डो की सूची नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं वार्ड वाइज में उपलब्ध कराया जायेगा। यदि एक घर में मालिक के अतिरिक्त किरायेदार भी आवासित है तो उसको भी हाउस होल्ड में गिना जायेगा। इसमें वार्ड नं0 04, 10, 13, 15, 17, 23, 26 35 सम्मलित है।
3. यूजर चार्ज वसूली का निर्धारण –

हाउस होल्ड	–	रू0 40 प्रति माह
व्यवसायिक स्थल	–	रू0 100 प्रति माह
होटल/रेस्टोरेन्ट	–	रू0 500 प्रति माह
विवाह घर	–	रू0 500 प्रति बुकिंग

न्यूनतम 40 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूलने की वाध्यता द्वितीय पक्ष की होगी।

4. अनुबन्ध की अवधि :– तीन वर्ष होगी तथा सन्तोषजनक होने पर बढाया जा सकेगा।
5. कूड़ा एकत्रीकरण एवं परिवहन :– डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन के लिये फोर व्हीलर टिपर संस्था स्वयं क्रय करेगी। अथवा किराये पर लेगी। वाहनों के संचालन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति में प्रथम पक्ष का दायित्व निर्धारित न हो। डीजल, मोबिल ऑयल आदि संस्था का होग। ड्राईवर हैल्पर भी द्वितीय पक्ष का होगा।

सम्पूर्ण आबण्टित क्षेत्र का कूड़ा परिवहन करने में प्रस्तुत बिल के अनुसार प्रति माह प्रथम पक्ष द्वारा उक्त द्वितीय पक्ष को भुगतान करना होगा।

जनजागरण अभियान – द्वितीय पक्ष द्वारा होर्डिंग, प्रिन्ट मीडिया का सहयोग लेकर जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, होर्डिंग का पैसा नगर निगम द्वारा व्यय किया जायेगा एवं प्रेस विज्ञप्ति का व्यय प्रथम पक्ष का द्वारा वहन किया जायेगा तथा सीधे नागरिकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जायेगा। द्वितीय पक्ष का सुपरवाईजर प्रतिदिन वार्ड पार्षद/पूर्व पार्षद/गणमान्य नागरिक व सफाई निरीक्षक से सम्पर्क कर स्थापित कर उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों का कूड़ा हटवायेगा एवं उनके हस्ताक्षर कराकरू दैनिक प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन सक्षम अधिकारी से कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

40-anubandh.doc/nnj

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

J.R.M. GROUP
J.R.M.

6. स्थल कार्यालय :– द्वितीय पक्ष द्वारा सभी उपकरणों के रख–रखाव के लिये एक स्थल चिन्हित किया जायेगा जहाँ सभी उपकरणों के साथ पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रहेंगे एवं साईज इन्चार्ज, सुपरवाईजर आदि रहेंगे। सम्पूर्ण कार्य का लेखा–जोखा इसी स्थल पर उपलब्ध रहेगा। उक्त स्थल पर केवल प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी ही निरीक्षण कर सकेंगे।

7. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के समस्त प्राविधानों का अनुपालन प्राईमरी व सैकेण्डरी कूड़ा कलैक्शन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

8. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन आवासीय, अनावासीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लेना होगा तथा सड़क पर एकत्रित एवं आम नागरिकों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा भी द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा एवं नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर द्वितीय पक्ष द्वारा ले जाया जायेगा।

9. यूजर चार्ज की वसूली कम से कम 40 प्रतिशत करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा और वसूल की गयी धनराशि नगर निगम खाते में जमा करनी होगी।

10. उक्त योजना के कार्य में वाहनों पर योजना का नाम लिखवाना व योजना के कार्य में यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

11. द्वितीय पक्ष को वर्ष में 365 दिन कार्य करना होगा तथा शासन के निर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।

12. अनुबन्ध की अवधि के मध्य कार्य छोड़ देने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व कोई भुगतान नही किया जायेगा।

13. डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन के कार्य का सत्यापन नियमित रूप से सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपैक्टर, वार्ड पार्षद,/पर्व पार्षद/नामित पार्षद द्वारा कराया जायेगा जिससे कार्य के मूल्यांकन में प्रथम पक्ष को आसानी से उक्त सत्यापन के अभाव में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

14. सेनेट्री सुपरवाईजर, सेनेट्री इन्सपेक्टर, द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित स्थलों से कूड़ा उठाना होगा व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायत का निस्तारण 24 घण्टे के अन्दर करना होगा।

15. घर–घर से कचरा न उठाने पर पेनाल्टी रू0 100/– लगायी जायेगी व शिकायत का निस्तारण समय से न होने की दशा में रू0 500/– पेनाल्टी लगायी जायेगी।

16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त बढ़ाने अथवा शिथिल करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी में निहित होगा और विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी द्वारा लिये गये निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।

17. न्याय क्षेत्र झाँसी नगर ही होगा।

प्रथम पक्ष
नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

J.R.M. GROUP
द्वितीय पक्ष
J.R.M.
JHANSI